संख्या– /XXVI/2005–दो (5)/2005

प्रेषक,

एस0 फैनाई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 10 मई, 2005

विषयः– अर्थ एवं संख्या विभाग के अंतर्गत पंचम आर्थिक गणना के लिए विभिन्न बचनबद्ध मदों पर व्यय के लिए वर्ष 2005–06 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–527–/ /XXVII(1)/2005 दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय पूर्व में शासनादेश संख्या–343/XXVI/2005–दो (5)/2005 दिनांक 6 अप्रैल, 2005 द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि रूपये 2.38 लाख को समायोजित करते हुए अर्थ एवं संख्या विभाग के अंतर्गत पंचम आर्थिक गणना के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में विभिन्न बचनबद्ध मदों पर व्यय हेतु संलग्नक में अंकित विवरणानुसार कुल रूपये 83.13 लाख (रूपये तिरासी लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि आपके नियंत्रण पर रखने की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल बचनबद्ध मदों यथा वेतन, मजदूरी, महँगाई भत्ता, अन्य भत्ते, टेलीफोन, जल, विद्युत देय, पेट्रोल/ वाहनों की रखरखाव, भोजन व्यय औषधि, वेतन संबंधी अनुदान, आवश्यक अनुरक्षण,यात्रा/स्थानांतरण यात्रा, किराया, छात्रवृत्ति/छात्र वेतन, पेन्शन, ऋण/व्याज, कार्यालय व्यय पर ही किया जायेगा । अवचनबद्ध मदों पर व्यय हेतु धनराशि का पूर्वानुमोदन आवश्यक एवं अपरिहार्य होगा । प्रश्नगत स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के भी अधीन हैः–

1– वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2005–06 की नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण मे व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

.....2/–

4— संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय बी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5— अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7— यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखा शीर्षक–"3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण सांख्यिकी –आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–01केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–अर्थ एवं संख्या विभाग का पंचम आर्थिक गणना का क्रियान्वयन" के अंतर्गत संलग्नक में अंकित विवरणानुसार सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।

संख्या– 611 (1)/ XXVI/2005–दो (5)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— श्री एल एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त एवं बजट नियंत्रण, उत्तरांचल शासन ।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5— समन्वयक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

...............3/—

शासनादेश संख्या– 511 /XXVI/2005–दो(5)/2005, दिनांक 10 मई,2005
का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
3454– जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी (आयोजना)		
02– सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी (आयोजना)		
800- अन्य व्यय		
01-केन्द्रीय आयोजना गत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें		
0101- अर्थ एवं संख्या विभाग का पंचम आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (अधिष्ठान) (100%के.स.)		
01-वेतन	213	--
03-महंगाई भत्ता	70	--
04-यात्रा व्यय	2372	--
06-अन्य भत्ते	18	--
07-मानदेय	5458	--
08-कार्यालय व्यय	37	--
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	27	--
13-प्रकाशन	--	--
42-अन्य व्यय	--	--
46-कंप्यूटर हार्डवेयर	118	--
योग	8313	--

रू0 83,13,000/– (रूपये तिरासी लाख तेरह हजार मात्र)

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।